न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर
बईजलास–श्री अरूणकुमार पुरोहित,आई.ए.एस

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र संख्या – 22/2024
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर – 2024/150

प्रार्थी

रूपाराम पुत्र श्री देवाराम जाति–प्रजापत कुम्हार,निवासी–टुंकलिया,तहसील–मेड़ता

बनाम

अप्रार्थीगण

1. सुखाराम पुत्र प्रतापराम जाति–प्रजापत
2. भंवरूराम पुत्र सुखाराम,जाति–प्रजापत
3. किसानाराम उर्फ जगदीश पुत्र भैंराराम जाति–प्रजापत,निवासीगण–टुंकलिया
4. तहसीलदार,मेड़ता।
5. पटवारी हल्का,धनापा।
6. उप पंजीयक,मेड़ता।
7. उपखण्ड अधिकारी,मेड़ता।

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से वकील श्री महेन्द्र कुमार शर्मा
2. अप्रार्थी संख्या 03 की ओर से वकील श्री श्याम सारस्वत उपस्थित।
3. अप्रार्थी संख्या 4 से 6 की ओर से राजपेरोकार उपस्थित।
4. अप्रार्थी संख्या 1 व 2 बावजूद तामिल अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई हैं।

:: **आदेश** :: **दिनांक :– 13.02.2025**

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अधीन धारा 235 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,मेड़ता में विचाराधीन राजस्व वाद संख्या 140/2023 एवं अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना–पत्र संख्या 175/2023 बअनवान रूपाराम बनाम सुखाराम की पत्रावलीयों को किसी अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से पैरावाईज टिप्पणी तलब की गयी।

अप्रार्थी संख्या 3 ने जरिऐ अभिभाषक प्रार्थना–पत्र का जबाब दिनांक 03.09.2024 को पेश कर यह निवेदन किया हैं कि प्रार्थी द्वारा पूर्व में मुन्तकिल आवेदन संख्या 43/2023 पेश किया गया था जो दिनांक 13.02.2024 को इसी न्यायालय द्वारा खारिज किया जा चुका हैं। ओर पुनः इसी न्यायालय में यह आवेदन–पत्र पेश किया गया हैं,जो खारिज योग्य हैं। जबाब प्रार्थना–पत्र में प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र में दर्ज तथ्यों को अस्वीकार करते हुवे मुख्य रूप से यह तथ्य दर्ज किये हैं कि प्रार्थी बार–बार उपखण्ड अधिकारी, मेड़ता के पीठासीन अधिकारी की छवि धुमिल कर रहा हैं। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करना या जारी नहीं करना पीठासीन अधिकारी के विवेक पर आधारित होता हैं। प्रार्थी बार–बार मुन्तकिल आवेदन पेश कर उपखण्ड अधिकारी पर मिथ्या एवं गंभीर प्रवृति के आरोप लगाकर उपखण्ड अधिकारी को डराकर एवं मानसिक दबाब डालकर अपने पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाना चाहता हैं। इसलिए प्रार्थना–पत्र प्रार्थी का खारिज किया जावें।

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर नागौर

वकील उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। विद्वान वकील प्रार्थी ने दौरोन बहस प्रार्थना–पत्र में दर्ज तथ्यों को पुनः दोहराते हुवे मुख्य रूप से यह निवेदन किया हैं कि प्रार्थी द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर,मेड़ता में ग्राम टुंकलिया के पुराने खसरा नम्बर 426 मिन रकबा 46 बीघा 4 बिस्वा हाल खसरा नम्बर 642,649,650,657,646,651 के संबंध में घोषणा खातेदारी,रेकर्ड दुरूस्ती व स्थाई व्यादेश का वाद संख्या 140/2023 दिनांक 11.09.2023 को पेश किया तथा इस वाद के साथ एक प्रार्थना–पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा दौराने वाद जारी किये जाने हेतु प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र पेश करते समय पीठासीन अधिकारी से अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया गया परन्तु पीठासीन अधिकारी अप्रार्थीगण के प्रभाव में होने से प्रार्थी के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की गई तथा प्रकरण को दर्ज रजिस्टर कर नोटिस जारी कर दिये। उसके बाद प्रार्थना–पत्र पर आज दिनांक तक किसी प्रकार का कोई आदेश जारी नहीं करना पीठासीन अधिकारी की कार्यशैली पर संदेह पैदा करता हैं। इसलिए प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या 7 के न्यायालय से न्याय प्राप्त होने की कोई उम्मीद नहीं रही हैं।

विद्वान वकील प्रार्थी का यह कथन हैं कि अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना–पत्र पर प्रार्थी अभिभाषक द्वारा बहस किये जाने के लम्बे समय बाद भी पीठासीन अधिकारी द्वारा इस प्रार्थना–पत्र पर कोई आदेश पारित नहीं करने से प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से कोई न्याय की उम्मीद नहीं हैं। प्रार्थी द्वारा पीठासीन अधिकारी से अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन करने पर पीठासीन अधिकारी ने यह कहा कि प्रार्थी के कब्जा को प्रश्नगत आराजी से कभी खाली करवा देगें तथा वाद एवं प्रार्थना–पत्र निरस्त करने की शक्तियॉ उन्हें प्राप्त हैं। इस प्रकार के तथ्य पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रगट करने से प्रार्थी का विश्वास इस न्यायालय से उठ चुका हैं। इसके साथ ही अप्रार्थीगण गॉव मे एलानियॉ कहते हैं कि हम पीठासीन अधिकारी से मिल लिये हैं,इसलिए प्रार्थी के पक्ष में किसी प्रकार का स्थगन आदेश जारी नहीं हो सकता हैं तथा हम अप्रार्थी की भूमि पर कब्जा करके रहेगें। अप्रार्थीगण राजनैतिक पहूँच वाले भी हैं,इसलिए भी वो इस प्रकरण में किसी भी प्रकार कार्यवाही नहीं होने दे रहे हैं,इसलिए निवेदन हैं कि प्रार्थना–पत्र प्रार्थी का स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय के उपरोक्त प्रकरणों को किसी अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किया जावें।

विद्वान वकील अप्रार्थी ने बहस में जबाब प्रार्थना–पत्र में दर्ज तथ्यों को पुनः दोहराते हुवे मुख्य रूप से यह तर्क दिया कि प्रार्थी द्वारा माननीय अधीनस्थ न्यायालय में पेश किये गये प्रकरण राजस्व वाद एवं प्रार्थना–पत्र न्यायालय में दर्ज रजिस्टर कर तलबी जारी के आदेश दिये हैं। अगर पीठासीन अधिकारी द्वारा बिना सुनवाई के स्थगन आदेश पारित नहीं किया गया हैं तो उस आदेश की अपील माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी में की जा सकती हैं। प्रार्थी के पास वादग्रस्त भूमि के टाईटल नहीं होते हुवे भी दबाब से स्थगन आदेश प्राप्त करना चाहता हैं। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करना या जारी नहीं करना माननीय न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के स्वविवेक पर निर्भर करता हैं। झूठे आरोप लगाकर इस आधार पर प्रकरणों को अन्य न्यायालय में मुंतकिल नहीं करवाये जा सकते हैं।

विद्वान वकील अप्रार्थी का यह भी कथन हैं कि प्रार्थी द्वारा पूर्व में भी मुंतकिल प्रार्थना–पत्र इन्हीं तथ्यों के आधार पर इसी न्यायालय में प्रकरण संख्या 43/2023 पेश किया था। इस प्रार्थना–पत्र को माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 13.02.2024 को खारिज किया जा चुका हैं। अब उन्हीं तथ्यों को प्रगट

कलक्टर नागौर

करते हुवे पुनः यह आवेदन पेश किया गया हैं,जो खारिज योग्य हैं। क्योंकि उन्हीं पक्षकारों के मध्य पुनः उन्हीं बिन्दूओं को लेकर प्रार्थना–पत्र उसी न्यायालय में पेश नहीं किया जा सकता हैं।

विद्वान वकील अप्रार्थी ने यह भी तर्क किया कि प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र में तमाम मिथ्य आरोप लगाये हैं,जिन आरोपो का कोई अस्तित्व नहीं हो एवं आधारहीन हो इस प्रकार का प्रार्थना–पत्र खारिज योग्य हैं। अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से न तो अप्रार्थीगण कभी मिले हैं एवं न ही किसी प्रकार की एलानियॉ धमकियों हमारे द्वारा कहीं दी गई हैं केवल मात्र अपने उद्धेश्यों की पूर्ति के लिए यह झूठा प्रार्थना–पत्र पेश किया हैं,जो भारी कोस्ट के साथ खारिज फरमाया जावें।

वकील अप्रार्थी ने अपने कथनों के समर्थन में RRT 2019(1) पेज 258, RRT 2020(2) पेज 896, RRT 2020(2) पेज 995 की नजीरे पेश की।

राजपेरोकार का बहस में कथन हैं कि अधीनस्थ न्यायालय के पीठासन अधिकारी द्वारा इन प्रकरणों में विधिक प्रकिया अपनाते हुवे कार्यवाही की जा रही हैं। केवल मात्र दबाब बनाने की नियत से प्रार्थी बार–बार इस प्रकार के आवेदन–पत्र पेश कर रहा हैं। अगर फिर भी माननीय न्यायालय इन प्रकरणों को अन्य न्यायालय में मुंतकील करता हैं तो हमें कोइ आपत्ति नहीं हैं। राजपैरोकार का यह भी कथन था कि जहां तक न्यायिक प्रकिया अन्तर्गत किसी सक्षम न्यायालय द्वारा कोई आदेश/निर्णय पारित किया जाता है, ओर यदि कोई पक्षकार उस आदेश/निर्णय आदि से असन्तुष्ठ होने पर वह सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने हेतु स्वतन्त्र है।

वकुलाय की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं प्रार्थना–पत्र मुन्तकिली में अंकित तथ्यों का अवलोकन किया तथा पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रेषित पैरावाईज टिप्पणी का भी अवलोकन किया एवं वकील अप्रार्थी द्वारा पेश की गई माननीय न्यायालय के निर्णय की नजरों का अवलोकन किया।

प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र का मुख्य आधार यह हैं कि प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में राजस्व वाद संख्या 140/2023 घोषणा खातेदारी,दुरूस्ती रेकर्ड एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया गया। इस राजस्व वाद के साथ प्रार्थना–पत्र संख्या 175/2023 पेश कर अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा की इस्तदुआ चाहे जाने पर अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा इस प्रार्थना–पत्र पर एक पक्षीय अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश जारी नहीं कर प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिऐ नोटिस तलब कर लिया –प्रार्थी का यह भी तर्क कि अप्रार्थीगण को पीठासीन अधिकारी के चेम्बर में आते–जाते भी देखा–अस्थाई निषेधाज्ञा के आवेदन पर किसी प्रकार का कोई आदेश पारित नहीं करना,मामले के अन्तरण हेतु ठोस एवं आधार नहीं हैं। पीठासीन अधिकारी ने भी अपनी पैरावाईज टिप्पणी में यह अंकित किया हैं कि यदि प्रकरण किसी अन्य न्यायालय में सुनवाई हेतु स्थानान्तरित किया जाता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं हैं। इस प्रकार फौरी कारणों से मात्र कयास के आधार पर प्रकरण को मुन्तकिल नहीं किया जाना चाहिये क्योंकि इससे न्याय व्यवस्था में व्यवधान पैदा होता है और पीठासीन अधिकारी की विश्वसनीयता में बिना किसी कारण के कमी आती हैं। बिना ठोस आधारों के मुन्तकिली प्रार्थना–पत्र स्वीकार करना न्याय प्रकिया के अधीन पक्षकारों को प्राप्त सुविधाओं एवं हकों की आड़ में दुरूपयोग को बढ़ावा नहीं मिलना चाहिये। इस प्रकरण में यह भी बिन्दू निर्णायक हैं कि प्रार्थी द्वारा पूर्व में इसी न्यायालय में इन्हीं कारणों को दर्शाते हुवे मुन्तकिली प्रार्थना–पत्र संख्या 43/2023 प्रस्तुत किया गया था जो न्यायालय के निर्णय दिनांक

कलक्टर नागौर

13.02.2024 द्वारा खारिज किया जा चुका हैं। अब पुनः उन्हीं कारणों सहित यह मुन्तकिली प्रार्थना–पत्र पेश किया हैं जो संधारण योग्य नहीं होने से भी खारिज योग्य हैं।

अतः मुन्तकिली प्रार्थना–पत्र में ठोस एवं उचित कारण नहीं होने से यह प्रार्थना–पत्र प्रार्थी खारिज किया जाता हैं। उपखण्ड अधिकारी,मेड़ता को निर्देश दिये जाते हैं कि वे उनके न्यायालय में लम्बित प्रकरणों को विधि अनुसार शीघ्र निस्तारण करें।

आदेश आज दिनांक 13.02.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरूण कुमार पुरोहित)
जिला कलक्टर,
कलक्टर नागौर